

मांग संख्या 58
मुख्य शीर्ष 2245

मद कर्मांक 1

द्वितीय अनुपूरक अनुमान में राज्य आपदा मोचन निधि (मुख्यशीर्ष 2245-05-101) के अंतर्गत किये गये प्रावधान के विरुद्ध उतनी ही राशि पुर्नप्राप्तियों के अंतर्गत (मुख्यशीर्ष 2245-05-901) होने के कारण समायोजित हो गई है, अतः ₹135000.00 लाख अंतरण पर व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹13,50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है । यह राशि द्वितीय अनुपूरक अनुमान (मुख्यशीर्ष 2245-01-101-7710) के प्रावधान की पुर्नप्राप्ति के रूप में मान्य होगी ।